


दस्तावेजों को सुनाया वकिल गी लडगण छे
ने दस्तावेजों को सुनी चंभ की। जमाना
वास्तु अधिकार दिनांक 23.10.17 को पेश की


23.10.17

पगावली पेश हुई। वकालात उपास्थित पगावली वास्तु
आदेश दिनांक 27.10.17 को पेश हो। 

27.10.17

पगावली पेश हुई। वकालात उपास्थित पगावली का
ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम दानी खिजारीय
को ग्रामि 20 नं. 104 व 113 के विभाजन को लेकर
पक्षकारान के मध्य विवाद उत्पन्न हो रहा है।
विवादित ग्रामि को लेकर पक्षकारान के मध्य अनावश्यक
विवाद 22वें मुकदमा वाली नहीं बढ़े। इसने निर-
वाद के निस्तारण तक अनावश्यकता को उक्त
वर्णित ग्रामि 20 नं. 104 व 113 के राजस्व विभाज-
22वें मौजे की अथास्थिति बनाये रखने हेतु
उरिगे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाल
है। पगावली फौसल शुमार लेकर नम्बर से कम
हो तथा मूलवाद के संलग्न रहे।

निर्णय जाल दिनांक 27.10.2017 को सुप-
न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवादी (कुचुपुं)